गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

जीबीयू/००२/प्रशा०/ई०ई०/२०१६ -/७2

दिनांक 0 🛭 🛲 , 2016

ःःकार्यालय आदेशःः

प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 12.01.2016 को सम्पन्न हुई सतरहवीं बैठक के बिन्दु संख्या 17.16.11 में लिए गये निर्णयों के कम में विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में आगन्तुकों के ठहरने हेतु कमरों का आवंटन एवं शुल्क का निर्धारण निम्नवत् है –

	श्रेणी	आगन्तुक/अधिकारियों का विवरण	निर्धारित किराया रू०
ਲਂ.			
1.	श्रेणी-क	गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित	रू० ७५०/- प्रति दिन की दर
		समस्त श्रेणियों के आचार्य एवं समकक्ष	से भुगतान।
		अतिथिगण।	Total Control
2	श्रेणी-ख	गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित	रू० 500/- प्रति दिन।
		कान्फ्रेंस में आये अतिथियों हेतु।	
3	श्रेणी–ग	किसी अन्य विश्वविद्यालय/ कालेज/संस्था	रू० 1000/- प्रति दिन।
		द्वारा विश्वविद्यालय में आयोजित कान्फ्रेंस	· 包括 · 图 · 图 · 图
		हेतु आये आगन्तुक गण	SOFT TRUE AND
4.	श्रेणी–घ	गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययनरत	रू० 1000/- प्रति दिन।
		छात्रों/छात्राओं के अभिभावक आदि।	
5.	श्रेणी–च	गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, चिकित्सा	रू० 1000/- प्रति दिन की
		विश्वविद्यालय, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना	दर से भुगतान।
		प्राधिकरण के रू० ६६००/- तक अथवा	s .
		उससे अधिक के ग्रेड पे वाले समस्त	
		अधिकारीगण/संकाय सदस्य एवं उनके	
		अतिथि।	
2.	श्रेणी–छ	विश्वविद्यालय के किसी भी	रू० ५००/- प्रति दिन की दर
		अधिकारी/कर्मचारी/ संकाय सदस्य के	से 3 दिन तक मान्य
		अतिथि।	
3.	श्रेणी–ज	विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में स्वेच्छा से	रू० 1500/- प्रति दिन की
		आचे अतिथिगण।	दर से भुगतान।
8	श्रेणी–झ	10 या उससे अधिक कमरों की एक साथ	
		बुकिंग हेतु	दिन
L			

अन्य नियम व शर्ते:-

- विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/संकाय सदस्य को अपने अतिथि को कन्वेंशन सेन्टर/गेस्ट हाउस में ठहराने के लिए सामान्यतः प्रारम्भ में अधिकतम 3 दिनों/रात्रि हेतु अनुमति दी जायेगी।
- 2. विश्वविद्यालय में अध्ययनरत/निवासरत छात्र/छात्राओं के अभिभावकों को गेस्ट हाउस में व्हरने हेतु इनके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र को सम्बन्धित छात्रावास के छात्रावास अभिरक्षक एवं सम्बन्धित स्कूल के अधिष्ठाता द्वारा संस्तुति सहित सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जाना होगा। सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमित के उपरान्त ही इन्हें व्हरने की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- 3. डबल बेड के एक कमरे में अधिकतम दो व्यक्तियों के ही ठहरने की अनुमति होगी।
- 4. ऐसे अतिथि जो गम्भीर बिमारी पीडित होंगे, मूक बघिर होंगे अथवा जिन्हें चिकित्सकों द्वारा completely bed rest की सलाह दी गयी होगी, उन्हें टहरने की अनुमित प्रदान नहीं की जायेगी।
- 5. आगन्तुकों के साथ किसी भी प्रकार के पालतू जानवर रखने की अनुमति नहीं होगी।
- 6. चेक इन का समय अधिकतम रात को 9.00 बजे तक होगा। इसके उपरान्त किसी भी आगन्तुक/अतिथि को ठहरने की अनुमित नहीं दी जायेगी।
- 7. विशेष परिस्थितियों में कन्वेंशन सेन्टर/गेस्ट हाउस के कमरों की निःशुल्क अनुमित एक दिन तक के लिए (अधिकतम 02 कमरों हेतु) कुलसचिव तथा इससे अधिक के लिए माननीय कुलपित द्वारा प्रदान की जा सकती है।
- 8. दिनांक 15 मार्च से 15 नवम्बर के मध्य कर्न्वेशन सेन्टर अथवा गेस्ट हाउस के ए.सी. प्लान्ट (सेन्ट्रल प्लान्ट) अधिक बुकिंग अथवा विशेष परिस्थितियों में ही चलाया जायेगा। इसके लिए किसी भी आगन्तुक का तर्क अमान्य होगा। इन दरों में किसी भी प्रकार का नाश्ता/भोजन सिम्मिलित नहीं हैं। आगन्तुक वास्तविक भुगतान करके नाश्ता/भोजन प्राप्त कर सकते हैं।

इस कम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रबन्ध बोर्ड द्वारा उक्त लिया गया निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सहायक कुलसचिव

प्रतिलिपिः

मा० कुलपित महोदय की निजी सचिव को महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।

- 2. निदेशक (कार्य) को सूचनार्थ।
- 3. सहायक कुलंसचिव को सूचनार्थ।
- 4. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय के समस्त कर्मियों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित एवं विश्वविद्यालय की बेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

सहायक कुलसचिव